न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी सलोनी खेमका, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 70 / 2018 वाद

श्री सवा पिता रोड़ा जी डांगी आयु वयस्क, निवासी खेड़ी (कुराबड़) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

, वादी

बनाम

1. श्री देवा पिता रोड़ा जी डांगी आयु वयस्क निवासी खेड़ी (कुराबड़), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री लोकेश गहलोत अधिवक्ता वादी उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 15.11.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व मौजा खेड़ी, पटवार क्षेत्र वली के आराजी सख्या 349, 3200, 3226, 3230, 3231, 3256, 3257, 3258, 3259, 3267, 3306, 3378 किता 12 रकबा 1.5250 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या—1 सगे भ्राता होकर उक्त कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी अपनी अपनी सहुलियत के आधार पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि का विधिक विभाजन नहीं होने की वजह से वादी व प्रतिवादी संख्या—1 के मध्य आए दिन उक्त भूमि के उपयोग—उपभोग को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। वादी के द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या—1 से निवेदन किया कि आप मेरे भ्राता ही है इसलिए आप सहमति से भूमि का विभाजन करा लेवे, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 सहमत नहीं है। उक्त भूमि का विभाजन नहीं करा प्रतिवादी संख्या 1 वादी को जानबुझकर परेशान कर रहा है और वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या—1 वादी के हिस्से की भूमि को हड़पना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कुछ दिन पहले उक्त शामलाती भूमि में से आराजी संख्या 3258 खेतनामी बाड़ा पर अवैध निर्माण करने आमादा हुआ, वादी द्वारा विरोध पर प्रतिवादी संख्या 1 लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया। वादकारण दिनांक 06.07.2018 को तब उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी संख्या—1 ने उक्त भूमि का विधिक विभाजन करने से इन्कार कर दिया और वादी को उक्त

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

मि से बेदखल करने की धमकी दी और अवैध निर्माण करने पर आमादा हुआ, ो निरन्तर जारी है।

अतः वादपत्र की कलम संख्या–1 में अंकित कृषि भूमि को हिस्सेनुसार वादी वं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक भाजन कराया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में दोनो का नाम अलग–अलग अंकित कराया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन सूचित किया गया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु समूचित अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से उनके जवाब अवसर बंद किए गए। जवाब प्रस्तुत नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई एवं वादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि वह कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता है, अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जावे।

विद्वावान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का विस्तृत अवलोकन कर अध्ययन किया गया। वादी का वाद केवल बंटवाडा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है वादी वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार है सह खातेदार को अपनी भूमि का बंटवाडा कराने का अधिकार है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार गिर्वा को 1000/–रू. की शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेड़ी, पटवार क्षेत्र वली के आराजी सख्या 349, 3200, 3226, 3230, 3231, 3256, 3257, 3258, 3259, 3267, 3306, 3378 किता 12 रकबा 1.5250 हैक्टेयर भूमि के खातेदार/पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र से सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट अविलम्ब आगामी सुनवाई दिनांक 28.12.2022 से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हों।

(सलोनी खेमका)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी श्रीमती सलोनी खेमका, आई.ए.एस. मुकद्मा 70/2018 सन 2018 सीगह वाद श्री सवा पिता रोड़ा जी डांगी आयु वयस्क निवासी खेडी (कुराबड़) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम (1)श्री देवा पिता रोड़ा डांगी आयु वयस्क निवासी खेडी (कुराबड़) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, (2)राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने सलोनी खेमका, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार गिर्वा को 1000/–रू. की शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेड़ी, पटवार क्षेत्र वली के आराजी सख्या 349, 3200, 3226, 3230, 3231, 3256, 3257, 3258, 3259, 3267, 3306, 3378 किता 12 रकबा 1.5250 हैक्टेयर भूमि के खातेदार/पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र से सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट अविलम्ब आगामी सुनवाई दिनांक 28.12.2022 से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....x........रुपये की राशि........x........आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....x......प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....x.....द्वारा ....x...... ....को दी जाए।

यह आज तारीख ....15.................... माह ...11......... सन् ....2022............ को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(मुद्रा: उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर)

हस्ताक्षर न्यायाधीश उपखण्ड अधिकारी
पद .... गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		